



Neutral Citation No. - 2025:AHC:63703

न्यायालय संख्या - 65

प्रकरण :- आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7039 सन् 2025

आवेदक :- जावेद

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

आवेदक के अधिवक्ता :- मोहम्मद फारूक अंसारी

विपक्षी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, वेद प्रकाश मिश्रा

माननीय कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति

1. सूची संशोधित की गई है।
2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपालन शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया।
3. श्री मोहम्मद फारूक अंसारी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री वेद प्रकाश मिश्रा, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं श्री एस.डी. मौर्य, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
4. आवेदक केस क्राइम संख्या 282 सन् 2024, धारा 137(2), 65(1) बी.एन.एस.एस. एवं 3/4 पॉक्सो (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012), थाना मुगलपुरा, जनपद मुरादाबाद में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।

अभियोजन कथानक:

5. आवेदक द्वारा दिनांक 25.12.2024 को लगभग 12.30 बजे दोपहर सूचनाकर्ता की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाना कथित है।

आवेदक की ओर से तर्क:

6. आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक परेशान करने और पीड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलंबित है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

8. पीड़िता सहमत पक्षकार है, जैसा कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभिलिखित उसके कथन से स्पष्ट है, जिसमें वह आवेदक के साथ कलियर शरीफ तक गई थी, जो उसके मूल स्थान से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और उसने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। पीड़िता दिखने में प्रौढ़ प्रतीत होती है, यद्यपि अस्थि परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वह 17 वर्ष की बताई गई है।

9. घटना की कोई चिकित्सकीय पुष्टि नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 2.1.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

सूचनाकर्ता/राज्य की ओर से तर्क:

10. जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया है कि पीड़िता नाबालिग थी और उसकी सहमति, यदि कोई हो, को कानून की दृष्टि में विचार में नहीं लिया जा सकता। कक्षा 5 के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के अनुसार, पीड़िता की जन्मतिथि 1.7.2011 है, अतः अपराध के समय वह मात्र लगभग 13 वर्ष की थी।

निष्कर्ष:

11. पी. युवप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक, *AIR 2023 SC 3525* के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि पीड़िता के जन्म से संबंधित अभिलेखों के अभाव में, संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र या निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज पर पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

12. जया माला बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1982) 2 *SCC* 538 और मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2011) 10 *SCC* 192 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह राय व्यक्त की गई है कि रेडियोलॉजिस्ट सही जन्मतिथि की भविष्यवाणी नहीं कर सकता बल्कि दोनों तरफ 1 से 2 वर्ष का लंबा अंतर होता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. निरंजन सिंह एवं अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोते एवं अन्य *A/R 1980 SC 785* में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, इस न्यायालय ने साक्ष्य के विस्तृत परीक्षण और मामले के गुण-दोष के विस्तृत प्रलेखन से बचा है क्योंकि किसी पक्षकार को यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि उसके मामले के साथ पूर्वाग्रह किया गया है। मामले की प्रथम दृष्टया संतुष्टि आवश्यक है परंतु यह आदेश में ही गुण-दोष की विस्तृत छानबीन के समान नहीं है।

14. "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, जमानत को नियम और कारावास को अपवाद के रूप में अवधारणा को जन्म देता है।

15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि व्यक्ति पर किसी अपराध को करने का आरोप है जब तक कि दोष युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नहीं छीना जा सकता, और प्रक्रिया न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 INSC 690** में दोहराया है।

16. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 INSC 595** के मामले में पुनः जोर दिया है कि विधि का बहुत सुस्थापित सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना है, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। यह समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को मान्यता देनी चाहिए कि "*जमानत नियम है और जेल अपवाद है*"।

17. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं बता सके जो आवेदक को जमानत से वंचित करने का औचित्य सिद्ध करें।

18. यह स्थापित विधि का सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण विशिष्टताएं या परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हैं जो यह सुझाव दें कि आवेदक न्याय से भागेगा या न्याय के मार्ग में बाधा डालेगा या अपराधों की पुनरावृत्ति या साक्षियों को धमकाने जैसी अन्य समस्याएं खड़ी करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

20. आवेदक- **जावेद**, जो उपरोक्त केस क्राइम में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के समाधान हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान धनराशि की प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप विरचन और (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान अभिलेखन के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानना और विधि के अनुसार कार्यवाही करना खुला होगा।

21. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की दशा में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के कथन के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

आदेश दिनांक :- 25.4.2025

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)